

जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 29.06.2024

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हुई मोबाईल लूट की घटना में वांछित 01 अन्य अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 29.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा चलाये जा रहे चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं इनमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत हुई मोबाईल लूट की घटना में वांछित 01 अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के अन्य साथी की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगी हुयी हैं, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

ज्ञात हो कि दिनांक 13.05.2024 को गुलशेर पुत्र अनवर निवासी ग्राम जमालपुर थाना झिंझाना जनपद शामली के पुत्र सादिक से मोटर साईकिल सवार अज्ञात युवको द्वारा मोबाईल छीन लेने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर सूचना गयी थी। पीडित के परिजन की तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था। ज्ञात हो कि घटना में शामिल अभियुक्त तौसिफ को लूटे गये मोबाईल सहित पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.तनवीर पुत्र इकराम निवासी ग्राम बराला थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- 1.उ0नि0 अनिरुद्ध कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
- 2.है0का0 नितिन कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
- 3.है0का0 प्रमेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 03 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 04 किलो 500 ग्राम डोड़ा चूर्ण बरामदः-

आज दिनांक 29.06.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 03 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 04 किलो 500 ग्राम डोडा चूर्ण (नशीला पदार्थ) सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.तौसिन पुत्र निसार निवासी ग्राम चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 2.मुस्तकीम पुत्र मोबीन निवासी ग्राम चौसाना थाना झिझाना जनपद शामली।
- 3.गुलबहार पुत्र मतलूब निवासी ग्राम चौसाना थाना झिझाना जिला शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त तौसिन उपरोक्त:-

- 1.मु0अ0सं0 268/2024 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 2.मु0अ0सं0 078/2023 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मुस्तकीम उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0 268/2024 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गुलहबार उपरोक्त:-

- 1.म्0अ0सं0 268/2024 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 2.मु0अ0सं0 069/2022 धारा 379/411/465 भादवि0 थाना झिझाना जनपद शामली।
- 3.मु0अ0सं0 175/2023 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध डोडा चूर्ण (नशीला पदार्थ) 04 किलो 500 ग्राम।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि० श्री सचिन त्यागी प्रभारी चौकी चौसाना थाना झिझाना जनपद शामली।
- 2.उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार चौकी चौसाना थाना झिझाना जनपद शामली।
- 3.है0का0 आशीष कुमार चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 3.है0का0 राहुल मलिक चौकी चौसाना थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 4.का0 ललित मोहन चौकी चौसाना थाना झिझाना जनपद शामली।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरूद्ध शामली पुलिस की प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में जानलेवा हमला करने के मामले में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई 07-07 वर्ष के कारावास की सजा एवं 21,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

वर्ष 2010 में थाना गढीपुख्ता पर अभियुक्तगण 1.दाऊद पुत्र अलीजान 2.जाहिद पुत्र मरगूब निवासीगण ग्राम बुंटा थाना गढीपुख्ता जनपद शामली के विरूद्ध मु030सं0 233/2010 धारा 307/34 भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए शामली पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त मुकदमें में अभियुक्त को सजा कराए जाने के लिए पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा शामली पुलिस को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने के लिए निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 29.06.2024 को माननीय न्यायालय एडीजे-01 मुजफ्फरनगर द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को धारा 307 भादवि में 07-07 वर्ष के कारावास की सजा व 10,000-10,000/- रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 02-02 माह के अतिरिक्त कारावास एवं अभियुक्त दाऊद को धारा 25 आर्म्स एक्ट में 01 वर्ष कारावास व 1,000/-रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

- 1.दाऊद पुत्र अलीजान निवासी ग्राम बुन्टा थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।
- 2.जाहिद पुत्र मरगूब निवासी ग्राम बुन्टा थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI